दिल्ली जागरण

सिर्फ एक डीजल कार खरीदने की होगी अनुमति

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : राजधानी में प्रदूषण को कम करने के मद्देनजर दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने अहम फैसला लिया है। परिवहन विभाग ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में हलफनामा दायर कर कहा है कि अब दिल्ली में एक घर में केवल एक डीजल कार खरीदने की अनुमति होगी। गत 25 मई को राजधानी में दस साल पुराने डीजल वाहनों को बंद करने के मामले में एनजीटी ने परिवहन विभाग से एक कार्ययोजना बनाकर देने को कहा था। विभाग ने अपनी कार्ययोजना में बताया है कि विभिन्न राज्यों से दिल्ली में आने वाले वाहनों से अब कंजेशन चार्ज भी लिया जाएगा।

- 5.38 लाख डीजल वाहन दिल्ली में हैं पंजीकृत।
- दस साल पुराने निजी वाहन 1.18 लाख हैं।
- दस साल पुराने व्यावसायिक वाहन 34,659 हैं।

परिवहन विभाग ने अपनी कार्ययोजना में बताया है कि दिल्ली से दस साल पुराने डीजल वाहनों को अलग-अलग चरणों में हटाया जाएगा। विभाग पहले परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सड़कों पर और बसें उतारना चाहता है। वहीं, विभाग दिल्ली-एनसीआर में वाहन पंजीकरण कराने पर लगने वाले टैक्स में एकरूपता भी चाहता है। दिल्ली में एक परिवार के पास एक ही डीजल कार हो और यहां वन टाइम पार्किंग चार्ज को बढ़ाया जाए। जिस घर में पहले से एक कार है और उस घर के लोग दूसरी कार खरीद रहे हैं तो उनसे जानकारी ली जाएगी कि उनके पास नई कार को खड़ी करने के लिए पार्किंग की जगह है या नहीं। अगर है तो उसका सुबूत भी खरीदार को देना होगा। अगर उनके पास पार्किंग की जगह नहीं है तो सड़क पर वाहन खड़ा करने के बदले प्रतिमाह पार्किंग चार्ज देना होगा।

गौरतलब है कि गत 7 अप्रैल को एनजीटी ने दिल्ली में दस साल व उससे पुराने सभी डीजल वाहनों के चलने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद 1 मई को एनजीटी ने डीजल वाहनों पर कोई कार्रवाई करने पर 18 मई तक रोक लगा दी थी। एनजीटी ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, उप्र व हरियाणा सरकार से मामले में जवाब मांगा था। अब इस मामले में अंतिम सुनवाई 13 जुलाई को होनी है।

U.P. Co-operative Spinning Mills Federation Ltd. Kanpur

CORRIGENDUM NOTICE

FOR OPERATION OF FIVE MILLS

It is hereby informed to all concerned that Tender Notice published in the Times of India Delhi/Lucknow and Dainik Jagran, Kanpur on 18-05-2015 for proposed last date for Tender submission dated 16-06-2015 is extended up to 01-07-2015.

Managing Director